रक्षा लेखा महानियंत्रक
Controller General of Defence Accounts
उलान बटार रोड, पालम, दिल्ली छावनी-110010
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt- 110010

सं. प्रशा./XIV/19015/सरकारी आदेश/2019 दिनांक : 06.03.2019

No. AN/XIV/19015/Govt. Orders/2019

सेवा में,

सभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/प्र.ले.नि.(फै.)

All PCsDA/CsDA/PCA (Fys)

(वेब साइट के द्वारा/Through Website)

विषय : केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2019 से प्रभावी संशोधित दरें।

Sub : Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2019.

उपरोक्त विषय पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 27 फरवरी, 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/2019/ई-II(बी), जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, की प्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु अग्रसारित की जाती है।

A copy of Government of India, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Office Memorandum No. 1/2/2019/E-II (B) dated 27th February, 2019 on the above subject, which is available on the website of MoF(DoE), is forwarded herewith for your information, guidance and compliance please.

मुश्ताक

संलग्नक: यथोपरि

(मुश्ताक अहमद)
रक्षा लेखा व. उप महानियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासन-4।
2. लेखा परीक्षा – 1, 2 (स्थानीय)।
3. लेखा परीक्षा (समन्वय) अनुभाग (स्थानीय)।
4. आई.टी.एवं एस. विंग (स्थानीय) :- रक्षा लेखा महानियंत्रक की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रशिक्षण एवं संगोष्ठी केंद्र, बरार स्क़्वायर, दिल्ली छावनी।
6. पुस्तकालय अनुभाग (स्थानीय)।
7. मास्टर नोट बुक प्रशासन-14।
8. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ए. (सी.बी.) पुणे {द्वारा रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (अधिकारी) पुणे}।
9. महासचिव, ए.आई.डी.ए.ई.ए. (मु०) कोलकाता {द्वारा प्रधान नियंत्रक लेखा (फेक्ट्री) कोलकाता}।

-वि०

(विजय रैना)
व० लेखा अधिकारी(प्रशा)

सं. 1/2/2019-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

27 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रदान किया जाना - 01.01.2019 से प्रभावी संशोधित दरें।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 07 सितम्बर, 2018 के का.ज्ञा.सं.1/2/2018-ई.II(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता **01 जनवरी, 2019** से मूल वेतन के 9% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 12% कर दिया जाएगा।

2. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3. यह महंगाई भत्ता, पारिश्रमिक का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे एफआर 9(21) के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4. महंगाई भत्ते की मद में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपए के पूर्णांक में किया जाए और 50 पैसे से कम अंश को नजरअंदाज किया जाए।

5. महंगाई भत्ते की बकाया राशि (जनवरी से मार्च) का भुगतान मार्च, 2019 के वेतन के संवितरण की तारीख से पहले नहीं किया जाएगा।

6. ये आदेश, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन प्राप्त करने वाले सिविलियन कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, रक्षा सेवा प्राक्कलनों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

7. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

No. 1/1/2019-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

North Block, New Delhi
Dated the 27th February, 2019.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees - Revised Rates effective from 1.1.2019.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/2/2018-E-II (B) dated 7th September, 2018 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of **9% to 12%** of the basic pay with effect from **1st January, 2019.**

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance (from January to March) shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.

6. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

7. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued with the concurrence of the Comptroller and Auditor General of India.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.